भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-134

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

उच्च शिक्षा हेतु पत्रिकाओं के लिए मानदंड

†134. **श्री आर. के. चौधरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूजीसी द्वारा उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु पत्रिकाओं के चयन के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से निपटने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूजीसी द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए क्या मानदंड और चयन प्रक्रिया अपनाई गई है:

(ग) क्या सरकार की मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में सुधार हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर के स्कूलों में दोहरी बोर्ड परीक्षा नीति आरम्भ करने के आधार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संकाय सदस्यों, छात्रों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समकक्ष-समीक्षित पत्रिकाओं के चयन हेतु सुझावात्मक मानदंड विकसित किए हैं। इसे दिनांक 16 जुलाई, 2025 को अधिसूचित किया गया था और यह

https://www.ugc.gov.in/pdfnews/6124898_Public-Notice-CARE-Journals.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) यूजीसी ने यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देना और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को संस्थान द्वारा अनुमोदित साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से थीसिस और शोध प्रबंधों की जांच करना आवश्यक है, यह https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7771545_academic-integrity-Regulation2018.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, ई-शोध सिंधु की राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की उप-समिति की सिफारिश के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार ने एक कार्यक्रम "शोधशुद्धि" शुरू किया है जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर (पीडीएस) तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

शिक्षा मंत्रालय की शोध शुद्धि योजना के अंतर्गत, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इनफ्लिबनेट), गांधीनगर ने पूरे भारत में 1160 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर (पीडीएस) उपलब्ध कराया था।

(ग) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) वर्ष 2018-19 से केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कौशल शिक्षा, समग्र शिक्षा योजना के तहत घटकों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा को एकीकृत करना है जो एनईपी 2020 के उद्देश्य के अनुरूप है; छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना, कार्य वातावरण का अनुभव प्रदान करना; और छात्रों के बीच विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चुनाव कर सकें। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को कौशल शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य छात्रों को किसी क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल से परिचित कराने के अवसर प्रदान करना और उन्हें उच्च कक्षाओं में अपने विषयों का चयन करते समय सूचित विकल्प बनाने के लिए तैयार करना है।

'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को एनएसक्यूएफ से संबद्ध कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना (एनएसक्यूएफ) के साथ अनुकूलित किया गया है। माध्यमिक स्तर, अर्थात् कक्षा 9 और 10 में, छात्रों को कौशल पाठ्यक्रम एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, अर्थात् कक्षा 11 और 12 में, कौशल पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (इलैक्टिव) विषय के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए कौशल पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने हेतु 138 कार्य की रूप रेखा को मंजूरी दी जा चुकी है।

समग्र शिक्षा के कौशल शिक्षा घटक के अंतर्गत 36,465 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 25,140 विद्यालयों में कौशल शिक्षा क्रियान्वित की जा चुकी है, जिनमें 35,56,330 विद्यार्थी नामांकित हैं।

(घ) एनईपी 2020 के पैरा 1.1 के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान यथाशीघ्र, और वर्ष 2030 से पहले प्राप्त करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को सामान्यतः जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस अवस्था को तीन उप-अवस्थाओं अर्थात 0-3 वर्ष, 3-6 वर्ष (पूर्वस्कूली अवस्था) और 6 से 8 वर्ष (कक्षा 1 और 2) में विभाजित किया गया है 3 से 8 वर्ष की आयु, शिक्षा की 5 वर्षों की निरंतरता को शामिल करती है, जिसे एनईपी 2020 के अंतर्गत बुनियादी चरण (फाउंडेशनल स्टेज) कहा गया है। पहली बार, 3 वर्षों के प्रीस्कूल (बालवाटिका) को 5+3+3+4 संरचना में शिक्षा की निरंतरता के रूप में मान्यता दी गई है, जहाँ आधारभूत चरण 3 वर्ष के प्रीस्कूल और कक्षा 1 व कक्षा 2 है।

एनईपी 2020 ने ईसीसीई के सार्वभौमिकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया है। शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, प्री-स्कूल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की लड़कियों और बच्चों तक पहुँचती है।

डीओएसईएंडएल द्वारा कई प्रमुख पहल भी की गई हैं जिनमें निम्नलिखित का शुभारंभ शामिल है:

(i) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक समर्पित मिशन 'समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत मिशन)' यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर ले।

(ii) बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) जो पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री (एलटीएम) आदि के लिए संरचना प्रदान करती है।

(iii) पहली कक्षा के लिए 'विद्या प्रवेश' नामक 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश', जिसका उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि (बाल वाटिका, आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी), घर पर, निजी प्ले स्कूल आदि) से पहली कक्षा में आने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चों का पहली कक्षा में सुचारू अंतरण सुनिश्चित हो सके।

(iv) जादूई पिटारा (जेपी), 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के लिए शिक्षण सामग्री (एलटीएम) का संग्रह।

v) ई-जादुई पिटारा (ई-जेपी), एक ऐप और वेबसाइट है जिसमें खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र के साथ नवीनतम तकनीक का एकीकरण है और जेपी की शिक्षा को प्रसारित करने और इसे कक्षा की चार दीवारों से परे ले जाने का एक तरीका है।

(vi) शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर "पहली कक्षा में बेहतर अभिसरण और निर्बाध प्रवेश के लिए स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान के लिए दिशानिर्देश"।

(ड.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पैरा 4.37 में प्रावधान है कि "बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्च दबाव' पहलू को और अधिक समाप्त करने के लिए, सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो"। सीबीएसई ने भारत और विदेशों के 26 देशों में अपने संबद्ध स्कूलों में वर्ष 2026 परीक्षाओं से दसवीं कक्षा में दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

*****